

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री ईश्वर सिंह चौहान पुत्र श्री बहादुर सिंह गांव पोस्ट श्री सेला तहसील बाली जिला पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :- 86/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/176 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>18.11.2024</p>	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 05.06.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है । लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक / रा. लो. सू. अ. / विविध / 2024 / 1174 दिनांक 30.10.2024 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि इस कार्यालय को प्रार्थी का आवेदन-पत्र आदिनांक तक प्राप्त ही नहीं हुआ है । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति जाहिर की है । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को अपीलार्थी का आवेदन पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे । निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो । <p style="text-align: center;">h (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	